नम्
जो

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Crll

लम .... कलेक्टर .... मुकाम .... बसवा

त्रिवेणी श्याम .... बनाम .... सरकार

दमा .... 6141 .... नं. .... 201 .... सन 2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 31-7-24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.
31/7/24 पत्रावली पेश हुई संशोधित कॉज टाइटल पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण में बहस सुनी गयी, निर्णय पृथक से लिखा गया जो शामिल मिसल हो, निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बसवा को तहरीर जारी होकर, पत्रावली मौतल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :– 201/2023
प्रकरण रज्जु दिनांक :–18.7.2023
निर्णय दिनांक . 31.7.2024

उनवान

प्रकरण :– दावा वास्ते दुरस्ती इन्द्राज, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दिलवाये जाने गुआवजा

प्रकरण का उनवान

त्रिवेणी श्याम पुत्र कैलाश चंद जाति ब्राहमण निवासी अगावली तहसील बसवा जिला–दौसा

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा

(प्रतिवादीगण)

–:निर्णय :–

दिनांक :–31.07.2024

दावा वास्ते दुरस्ती इन्द्राज, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दिलवाये जाने गुआवजा

उपस्थिति :– वादी की ओर से एडवाकेट श्री नवीन कुमार गुर्जर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि वादी द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का वादपत्र पेश किया कि वादी की खातेदारी कब्जो काश्त की भूमि ग्राम अगावली तहसील बसवा में स्थित खाता संख्या नया 40 पुराना 39 आराजी खसरा नंबर 148 रकबा 0.68 हैक्टयर, 401 रकबा 0.51 हैक्टयर, 98 रकबा 0.41 हैक्टयर, 99 रकबा 0.34 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.94 हैक्टयर सिथत है । भूमि उक्त में से खसरा नंबर 148 जिसका रकबा 0.68 हैक्टयर है, उसका साबिक खसरा नंबर 51 मिन रहा है । जो कि 2 बीघा 14 बिस्वा क्षैत्रफल का रहा है । जिसका वादी तन्हा स्वामित्वाधिकारी एवं कब्जा काश्त खातेदार है । वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 148 रकबा 0.68 हैक्टयर, जिसका साबिक/पुराना खसरा नंबर 51 मिन रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा का रहा है, इस पर वादी जमाने बुजुर्गान [illegible] काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त खेत के चारों तरफ बजमाने बुजुर्गान से [illegible] 60-70 वर्षों से खाम डोल बनी हुई है । इस खसरा नंबर में वादी द्वारा [illegible] की फसल काश्त की, जो कि उग चुकी थी । इस फसल [illegible] 10,000/–रूपये खर्च हुए थे । वादी की खातेदारी भूमि का साबिक नक्शाट्रेस खसरा [illegible]र 51 मिन रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा का बना हुआ था । परंतु प्रतिवादी संख्या 6 ने सैटलमेंट अधिकारियों से मिलकर विधि विरूद्ध तरीके से वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 148 रकबा 0.68 हैक्टयर के नक्शाट्रेस में 04 एयर भूमि कम करके बनाया है । जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है । कानूनन राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी, नक्शाट्रेस में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । सैटलमेंट अधिकारी का दायित्व था कि वे राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:17 IST
Reason: SelfAttested

रिकोर्ड को यथावत बनाये रखें परंतु विधि विरूद्ध तरीके से सैटलमेंट अधिकारियों ने वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 148 के नये नक्शाट्रेस को 4 एयर भूमि कम करके बनाया । जो गलत है । वादी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 148 के नये नक्शाट्रेस को साबिक नक्शाट्रेस दिनांक 21.9.1959 के मुताबिक तथा रकबा 0.68 हैक्टयर की माप के मुताबिक दुरस्त करवाने का हकदार है । इस कारण दावा दुरस्ती का न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है । साबिक नक्शाट्रेस दिनांक 21.9.1959 में वादी की खातेदारी भूमि साबिक नंबर 51 मिन की पश्चिम सीमा के किनारे 1 मीटर चौडाई की पगडण्डी दिखा रखी है । मौके पर कभी रास्ता नहीं रहा है । प्रतिवादी संख्या 06 जो कि पेशे से अध्यापक है ने सैटलमेंट अधिकारियों से मिलकर वादी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 148 होकर अवैध रूप से नक्शे में रास्ता दर्शा दिया । यहां यह तथ्य भी दर्ज करना प्रासंगिक है कि साबिक खसरा नंबर 148 में अवैध तरीके से नये नक्शाट्रेस में दर्शाये गये रास्ते के साबिक नक्शाट्रेस में कोई खसरा नंबर भी अंकित नहीं है । सैटलमेंट अधिकारियों को कोई हक प्राप्त नहीं था कि वो मनमर्जी से अवैध तरीके से वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 148 में से 4 एयर भूमि कम करके उसे रास्ते के रूप में दर्शाये, वादी अपनी खातेदारी भूमि में से विधि विरूद्ध तरीके से 4 एयर भूमि कम करके उसे रास्ते के रूप में दर्शाने की अवैध कार्यवाही से गलत बनाये गये नक्शाट्रेस को दुरस्त करवाने का हकदार है । वादी की कब्जे काश्त तन्हा स्वामित्व की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नंबर 51 मिन जिसका रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा रहे हैं । साबिक नक्शा ट्रेस दिनांक 21.9.1959 में वादी की खातेदारी भूमि के नक्शाट्रेस 27225 वर्गफीट का बना हुआ है, जो कि 2 बीघा 14 बिस्वा होता है तथा नया नक्शा ट्रेस 6372 वर्ग मीटर का बनाया है, जो 6372 एयर अर्थात् 2 बीघा 11 बिस्वा ही होता है । इससे स्पष्ट है कि वादी का नया नक्शा 4 एयर कम का बना हुआ है जिसे दुरस्त करवाने का वादी हकदार है । साबिक नक्शाट्रेस में वादी की खातेदारी भूमि की पूर्वी सीमा का कोना एवं अगावली–बसवा के कांकड के मध्य की दूरी 76 मीटर है और नये नक्शा ट्रेस में भी वादी की खातेदारी भूमि की पूर्वी सीमा का कोना अगावली–बसवा, कांकड की दूरी 76 मीटर ही है । इससे स्पष्ट है कि नये नक्शा ट्रेस में पूर्वी सीमा साबिक नक्शा ट्रेस में मुताबिक सही है । वादी की खातेदारी भूमि पश्चिमी सीमा की तरफ 4 एयर कम करके गलत तरीके से पगडंडी को रास्ते के रूप में दर्शाया है जिसे दुरस्त करवाने का वादी हकदार है । वादी की खातेदारी भूमि के साबिक नक्शा ट्रेस में दर्शा रखी पगडण्डी महज 1 मीटर चौडाई की ही थी जो कि वादी की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नंबर 51 मिन की पश्चिमी सीमा पर थी परंतु प्रतिवादी नंबर 06 ने सैटलमेंट अधिकारियों से सांठ–गांठ करके नये नक्शा ट्रेस में वादी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 148 के नये नक्शा ट्रेस में कम करके एवं पश्चिमी सीमा के किनारे पर स्थित पगडण्डी को अवैध तरीके से खातेदारी के मध्य में लगभग 4 मीटर चौडाई के रास्ते के रूप में दर्शा दिया, जिसका कि उनको कोई हक अधिकार नहीं था । उक्त कार्यवाही अवैध है । वादी अपनी खातेदारी भूमि के नक्शा ट्रेस को दुरस्त करवाने का हकदार है । दिनांक 13.7.2023 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 6 को लाभ पहुँचाने की मंशा से इस तथ्य से भली–भांति परिचित होते हुए कि नये नक्शे में वादी की खातेदारी भूमि का नक्शा 4 एयर कम बना हुआ है । साबिक नक्शे में भी कोई रास्ता नहीं था, जबकि जेसीबी, ट्रेक्टर वगैरह लगाकर प्रतिवादी संख्या 6 के बतजाये अनुसार जबरन वादी की सरसब्ज [illegible] की फसल को नष्ट करके, वादी के खेत में होकर जबरन रास्ता [illegible] दर्ज करना उचित है कि प्रति. संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वादी को रास्ते पर अतिक्रमण करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया । अगर वादी ने रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा होता तो प्रतिवादी संख्या 1 अवश्य ही वादी को नोटिस देते और वादी के विरूद्ध कार्यवाही करते । प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने दिनांक 13.7.2023 को, की जाने वाली कार्यवाही से पहले कोई सूचना वादी को नहीं दी । इन्होंने मौके पर ना तो वादी की भूमि का सीमाज्ञान किया और ना ही अवैध रूप से दर्शाये गये रास्ते का सीमाज्ञान किया और जैसा प्रतिवादी नंबर 06 ने

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:17 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर बताया उसके अनुसार ही मौके पर वादी की खातेदारी भूमि में होकर जबरन जेसीबी ट्रैक्टर चलाकर वादी की सरसब्ज बाजरे की फसल को नष्ट कर दिया तथा वादी द्वारा अपनी फसल की सुरक्षा में लगाये गये तारबंदी को जबरन तोड दिया तथा 6 पिलर तोर दिये तथा करीबन 30–30 फीट लंबी खाग डोल को भी तोड दिया तथा 3 हरे बबूल के करीबन 15–20 साल पुराने पेड मौके से हटा दिये । प्रतिवादी नंबर 2 लगायत 6 द्वारा षडयंत्रपूर्वक अपने पद का दुरूपयोग करते हुए की गई कार्यवाही से वादी को लगभग 50000/–रूपये का नुकसान हो गया । वादी को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के द्वारा की गई अवैध कार्यवाही से हुए नुकसान की भरपाई प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 से करवाया जाना कानूनन जरूरी है । प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की खातेदारी भूमि में होकर जबरन पुख्ता रास्ता का निर्माण ना करें । वादी ने अंत में इस्तदुआ की है कि 1. वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 148 के नये नक्शाट्रेस को साबिक नक्शा दिनांक 21.9.1959 के मुताबिक दुरस्त किया जावे । 2. प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा दिनांक 13.7.2023 को की गई अवैध कार्यवाही को निरस्त किया जावे । 3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि दिनांक 13.7.2023 की अवैध कार्यवाही के आधार पर खसरा नंबर 148 ग्राम अगावली में कोई पुख्ता निर्माण अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जावे । प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की अवैध कार्यवाही से हुए नुकसान 50000/–रूपये की भरपाई प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 से करवाई जावे ।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने पर, प्रतिवादीगणों/अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बाद तलबी के भी न्यायालय के सम्मुख उपस्थित नहीं आए लिहाजा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से एडवोकेट श्री विनोद शर्मा एवं मनोज मिश्रा उपस्थित आए ।

वकील प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा प्रस्तुत दावे के विरूद्ध आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का प्रा.पत्र पेश किया । आदेश 7 नियम 11 के विरूद्ध वकील वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब व उभयपक्षकारान की बहस के उपरांत, पृथक से विस्तृत आदेश लिखवाया गया एवं प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 को दिनांक 18.7.2024 को खारिज कर, फैसल शुमार किया गया ।

प्रकरण के कम में हाल नक्शाट्रेस खसरा नंबर 148 एवं इसी खसरा के साबिक नक्शाट्रेस साबिक खसरा नंबर 51 मिन ग्राम अगावली में, वादी द्वारा जो भिन्नता उत्पन्न किये जाने एवं साबिक नक्शे के तुलना में हाल नक्शे में 4 एयर की भूमि कम करने के संबंध में, जो यह वाद पत्र पेश किया गया । उसके संबंध में तहसीलदार बसवा से पत्रांक राजस्व/2024/464 दिनांक 24.5.2024 के द्वारा "सैटलमेंट से पूर्व के नक्शे एवं बाद के नक्शों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए रिपोर्ट एवं प्रकरण में वर्णित विवादित खसरा नंबरान की रकवा बरारी कर रिपोर्ट" प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:17 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब पेश किया गया । प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया ।

वकील वादी द्वारा न्यायालय हाजा के सम्मुख आदेश 23 नियम 1 जा.दी. में एक प्रा.पत्र इस आशय पेश किया कि वादी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के विरूद्ध आगे दावा नहीं चलाना चाहता है और इनके विरूद्ध चाही गई रिलिफ विड्रो करना चाहता है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की हद तक दावा विड्रो करने एवं प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

2 लगायत 6 का नाम हजफ करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है । इसी प्रकार टी.आई में भी 2 लगायत 6 का नाम हजफ किया जावे ।

प्रा.पत्र आदेश 23 नियम 1 पर वकील वादी की बहस सुनी गई । बहस उपरांत हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि स्वयं वादी ही किसी व्यक्ति के विरूद्ध वाद नहीं चलाना चाहे अथवा उसे प्रतिवादी से किसी अनुतोष की आवश्यकता ही नहीं है तो ऐसे प्रतिवादियान के नाम हजफ किया जाना, विधिसम्मत एवं न्यायोचित हैं । ऐसी दशा में आदेश 23 नियम 1 का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का नाम हजफ करने के एतदद्वारा आदेश दियें गये ।

प्रकरण में तहसीलदार बसवा से पत्रांक भू.अ./2024/2759 दिनांक 28.6.2024 रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार बसवा द्वारा उनकी रिपोर्ट में अंकन किया कि "पटवारी हलका करनावर की रिपोर्ट मुताबिक उक्त प्रकरण में सैटलमेंट से पूर्व का नक्शा एवं बाद का नक्शा की तुलनात्मक जांच करने पर पाया गया कि ग्राम अगावली तहसील बसवा के सैटलमेंट से पूर्व के नक्शे में दर्ज खसरा नंबर 51 मिन के मुकाबले हाल के नक्शे में दर्ज खसरा नंबर 148 को कम क्षैत्रफल का बनाया गया है । नक्शा में उक्त त्रुटि भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्तमान में नक्शा बनाते समय की गई है । गत खसरा नंबर 51 मिन की रकबा बरारी करने पर उक्त खसरा नंबर का क्षैत्रफल नक्शे मे 2 बीघा 14 बिस्वा पाया गया है जो जमाबंदी एवं मिलान क्षैत्रफल के अनुसार सही है । 2 बीघा 14 बिस्वा की भूमि 0.68 हैक्टयर होती है । इस प्रकार हाल नक्शा खसरा नंबर 148 की रकबा बरारी करने पर उक्त खसरा नंबर का क्षैत्रफल 0.64 हैक्टयर पाया गया है । जबकि जमाबंदी में उक्त खसरा नंबर 148 का क्षैत्रफल 0.68 हैक्टयर दर्ज है । इस प्रकार हाल नक्शा में गत नक्शे के मुकाबले 0.04 हैक्टयर क्षैत्रफल भूमि की कमी का खेत नक्शे में बनाया गया है । इस नक्शे की उत्तर पश्चिम दिशा में 0.02 हैक्टयर भूमि की कमी की गई है । जिसकी वृद्धि लगते हुए खसरा नंबर 32, 22, 149 में की गई है तथा नक्शे की पश्चिमी दिशा में 0.02 हैक्टयर भूमि की कमी की गई है । जिसकी वृद्धि लगते हुए खसरा नंबर 35 में की गई है । तथा खसरा नंबर 34 गै.मु.रास्ता रकबा 0.02 हैक्टयर को वर्तमान नक्शे में खसरा नंबर 148 की सीमा में गलत दर्शा रखा है । जबकि उक्त रास्ते को खसरा नंबर 35 की सीमा में दर्शाया जाना चाहिए था नक्शे में भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त किया जाना अपेक्षित है । इस प्रकार क्षैत्रफल में कमी व वृद्धि केवल नक्शे में ही की गई है । अतः पटवारी हलका करना की गई जांचरिपोर्ट मय रकबा बरारी की रिपोर्ट श्रीमान् जी सेवा में प्रेषित कर निवेदन है कि नक्शे में भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुठि को दुरस्त किया जाना अपेक्षित है ।"

वादी वकील की ओर से प्रकरण में बहस की । वकील वादी द्वारा उनकी बहस में इस बिन्दु को पुरजोर तरीके से न्यायालय हाजा के सामने रखा कि आज अंकित खसरा नंबर 148 रकबा 0.68 हैक्टयर भूमि ग्राम अगावली, के साबिक खसरा नंबर 51 मिन रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा ग्राम अगावली रहे हैं [illegible] वादी की जमाबंदी में तो बिल्कुल सही व दुरस्त कुल रकबा 0.68 हैक्टयर [illegible] की हुई है, जमाबंदी की प्रविष्टियां तो सैटलमेंट विभाग द्वारा सही [illegible] साबिक नक्शे से जो हाल नक्शा बनाया गया, उसे 0.04 हैक्टयर [illegible] । जबकि वादी आज भी साबिक नक्शे व जमाबंदी साबिक एवं हाल के अनुसार कुल 0.68 हैक्टयर भूमि पर ही काबिज काश्त है । सैटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के वादी का नक्शा कम कर दिया जिसे सही व दुरस्त करके, साबिक नक्शा की स्थिति में तरमीम करवाया जाना लाजिमी एवं आवश्यक है । अतः हाल खसरा नंबर 148 रकबा 0.68 हैक्टयर को साबिक खसरा नंबर 51 मिन रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा के मुताबिक ही नक्शे में संशोधित तरमीम करवाई जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, तहसीलदार बसवा की रिपोर्ट एवं बहस पर मनन किया, जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट एवं गौर फरमाने योग्य यह तथ्य पाया गया कि वादी के ग्राम अगावली तहसील बसवा स्थित हाल खसरा नंबर 148 रकबा 0.68 हैक्टयर भूमि का नक्शा, साबिक खसरा 51 मिन रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा के नक्शे के अनुसार दुरस्त किया जावे ।

आदेश

अतः आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार, बसवा उनकी रिपोर्ट भू.अ./2024/2759 दिनांक 28.6.2024 के अनुस00ण्णर ग्राम अगावली तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित वादी के खेत खसरा नंबर 148 रकबा 0.68 हैक्टयर को, साबिक नक्शा खसरा नंबर 51 मिन. 2 बीघा 14 बिस्वा के अनुसार दुरस्त करें, जिससे वादी की जमाबंदी में अंकित खसरा नंबर 148 का क्षेत्रफल रकबा 0.68 हैक्टयर के अनुसार, राजस्व नक्शा दुरस्त व सही हो सके ।

चूंकि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के विरूद्ध उनके वाद पत्र को आदेश 23 नियम 1 के तहत विड्रो किया है, अतः वादी द्वारा फसल खराब होने से 50000/–रूपये की भरपाई, एवं अन्य अनुतोष के बिन्दुओं को खारिज किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर, नंबर से कम हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला–दौसा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:17 IST
Reason: SelfAttested